न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 58/2021

1 सुरेश कुमार पुत्र फूलचन्द जाति जाट निवासी जाट निवासी ढ़ाणी झाड़ूवाली तन मण्ढ़ोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 शेरसिंह पुत्र यादराम।
2 सुबेसिंह पुत्र यादराम।
3 रमेशचन्द पुत्र सुबेसिंह।
4 राजेन्द्र पुत्र फूलचन्द।
5 महेन्द्र सिंह पुत्र ग्यारसीलाल।
6 नानूराम पुत्र रामजीलाल।
7 सजना देवी पत्नी नानूराम।
8 सुरेन्द्र सिंह पुत्र ग्यारसीलाल।
9 बहादुर सिंह पुत्र ग्यारसीलाल समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी झाड़ूवाली तन मण्ढ़ोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
10 भूमिधारी तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।
11 श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांकित 08.02.2018
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर
मुकदमा नम्बर 108/2013 बउनवानी शेरसिंह बनाम सुबेसिंह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री विजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भागीरथ जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 1-2-24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 108/2013 में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 367 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 368 रकबा 2.5700 हैक्टर, खसरा नम्बर 374 रकबा 0.7400 हैक्टर, खसरा नम्बर 376 रकबा 1.2500 हैक्टर, खसरा नम्बर 377 रकबा 0.8900 हैक्टर, खसरा नम्बर 378 रकबा 0.9000 हैक्टर, खसरा नम्बर 378/793 रकबा 0.6100 हैक्टर, खसरा नम्बर 379 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 380 रकबा 0.3000 हैक्टर, खसरा नम्बर 381 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 382 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 383 रकबा 0.4400, खसरा नम्बर 384 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 385 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 386 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 387 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 388 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 389 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 390 रकबा 0.55 हैक्टर, खसरा नम्बर 391 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 392 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 393 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 394 रकबा 0.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 395 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 396 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 398 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 399

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

रकबा 0.03 हैक्टर, गैर मुमकिन रास्ता, खसरा नम्बर 400 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 401 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 402 रकबा 0.17 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.38 हैक्टर कुल किता 32 कुल रकबा 12.33 हैक्टर वाके ग्राम मण्ढोली पटवार हल्का मण्ढोली तहसील नीमकाथना जिला सीकर में अवस्थित है, जिसकी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में 1/7 व वादी के हिस्से में 1/7 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से में 1/7 व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 का हिस्सा 3/7 व प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का हिस्सा 1/7 दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं संयुक्त कब्जे काश्त की चली आ रही है जिसमें पक्षकारान शामिल में कृषि उपज एवं कुदरती पैदावार प्राप्त करते आ रहे है। भूमि अब तक अविभाजित चली आ रही है। जिसका पक्षकारान के मध्य कभी कोई विधिवत रूप से विभाजन नहीं हुआ हैं। उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 34 रकबा 0.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 376 रकबा 1.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 377 रकबा 0.89 हैक्टर कुल रकबा 2.88 हैक्टर भूमि में से 1.2599 हैक्टर भूमि, भूमि अवाप्ति अधिकारी नीमकाथाना द्वारा केन्द्रीय सरकार के रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) संसोधित अधिनियम 2008 के तहत अधिकृत कर ली है। जिसका नामान्तकरण संख्या 1890 दिनांक 12.12. 2011 से रेल्वे के नाम जमावन्दी में दर्ज हो चुकी है। जिसका मुआवजा की राशि भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा सभी पक्षकारानगण ने अपने अपने हिस्से अनुसार प्राप्त कर ली। शेष भूमि का बंटवारा करने के सम्बन्ध में एवं स्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में वाद पत्र प्रस्तुत किया शेष प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये, प्रतिवादी 1, 2, 7 व 8 ने जरिये वकालतन हाजिर आकर जवावदावा प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 ने जवावदावा के साथ ही काउन्टर वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। तत्पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर साक्ष्य ली गई जिस पर विवेचन किये विना ही अधिवक्ता वादी के निवेदन पर दावा प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिया गया

BDL

भू-प्रवन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

और प्राथमिक डिक्री के आधार पर ही न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री जारी कर दी गई। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विधिक प्रकिया की पालना किये बिना तनकीवार विवेचन किये बिना, आदेश 20 नियम 5 की पालना किये बिना, काउन्टर क्लेम पर कोई निर्णय किये बिना प्राथमिक डिक्री जारी कर दी है। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नही किये गये है। प्रतिवादी संख्या 3 से 6 को 0.65 हैक्टेयर भूमि कम दी गई है। विभाजन में रास्ता अकेले अपीलांट की भूमि में से दे दिया गया है। विचाराधीन निर्णय की अपीलांट को जानकारी नही थी। निर्णय के उपरान्त अपीलांट के पिता की मृत्यु हो गई। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायहित में धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जावे। विचारण न्यायालय में अपीलांट पक्षकार नही था। इसलिए अपीलांट की सहमती का कोई विधिक महत्व नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा सहमती के आधार पर हिस्से अनुसार विभाजन कर विचाराधीन डिक्री पारित की गई है। अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री को चुनौती नही दी गई है। अन्तिम डिक्री की आदेशिका पर अपीलांट स्वंय की सहमती के हस्ताक्षर है। विधि अनुसार सहमती की डिक्री की अपील नही हो सकती है। आदेशिका दिनांक 08.02.2018 पर अपीलांट के हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति में अपीलांट जानकारी से इन्कार नही कर सकता है। जानकारी के उपरान्त भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का सन्तोषप्रद कारण अंकित नही किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। अपील खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा सहमती के आधार पर हिस्से अनुसार विभाजन कर विचाराधीन डिक्री पारित की गई है। अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री को चुनौती नही दी गई है। अन्तिम डिक्री की आदेशिका पर अपीलांट स्वंय की सहमती के हस्ताक्षर है। विधि अनुसार सहमती की डिक्री की अपील नही हो सकती है। आदेशिका दिनांक 08.02.2018 पर अपीलांट के हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति में अपीलांट जानकारी से इन्कार नही कर सकता है। जानकारी के उपरान्त भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का सन्तोषप्रद कारण अंकित नही किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 1-2-24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर